Uttam Das Vs. Kuldeep Das and Others.

09.06.2026

अभिलेख में आज तिथि नियत होने के कारण अभिलेख मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ। परिवादी की हाजरी है। पुकार पर परिवादी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुये। सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि यह आपराधिक परिवाद दिनांक 02.03.2026 को दाखिल किया गया था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इस मामले में परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी नितीश कुमार (परिवादी का दामाद) एवं संगीता देवी (परिवादी की पत्नी) का साक्ष्य करवाया है।

परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी उत्तम दास का मामला साररूप से इस प्रकार है कि परिवादी अपनी पत्नी तथा अपने पुत्र शिंकु कुमार के साथ आपस में बातचीत कर रहा था। इसी बीच सभी अभियुक्त हरवे हथियार से लैश होकर आया और बोला कि दुकान का बाकी पैसा क्यों नही दे रहे। उसके द्वारा सिर्फ यह कहने पर कि मात्र 200 रूपया ही उधार है। सभी अभियुक्त साला, चमार, अभी रूपया दो नही तो तुम्हारी पत्नी संगीता के साथ छेड़छाड़ करेगे। उपेन्द्र साह बुरी नियत से उसका झोटी पकड़कर सड़क पर पटक दिया और साड़ी खींच लिया तथा ब्लाउज भी फाड़ दिया तथा सभी अभियुक्त बोला कि रूपया अभी दो नही तो साला, चमार, चमैनी सभी को काट देगें और कहा कि भोसड़ी, चमैनी थूक चाटों संजय साह उसके पत्नी के आंचल से 10,500 रूपया चुरा लिया तथा सुरेश साह उसका चांदी का सिकड़ी (जिसका कीमत 19,000 रूपया है) छीन लिया।

यहां उल्लेखनीय है कि इस मामले में परिवादी ने अपने सशपथ बयान (S.A.) के अतिरिक्त दो साक्षी नितीश कुमार एवं संगीता देवी का साक्ष्य करवाया है। परिवादिनी ने अपने सशपथ बयान मे न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया है कि **वह कुलदीप साह की दुकान से उधार समान लेता था, उसी का बकाया पैसा कुलदीप मांग रहा था। उसकी जेब में अभी एक पैसा नही है। वह कोर्ट बिना पैसे के आया है, क्योंकि वह गरीब है तो उसकी पत्नी कैसे पैसे वाली हो सकती है। उसकी पत्नी ने दस**

हजार रूपया का जुगाड़ किया था। जांच साक्षी संख्या 1 ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया कि **उधार समान लेने पर पैसा मांगना पाप नही है। उसे उधार देकर अभियुक्तों ने गलती नही किया था। दो सौ रूपया उसकी सास को देना है।** जांच साक्षी संख्या 2 ने न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कथन किया कि **यह मुकदमा उसके पति ने किया है। वह पुलिस के पास गये थे तो पुलिस ने उसका केस नही लिया। कुलदीप साह का केस ले लिया है। कुलदीप साह ने उसके पति और लड़के पर केस किया है। उस केस में वह अभियुक्त नही है। कुलदीप साह चोर नही है। कुलदीप साह पैसे वाला है। कुलदीप साह ने पैसा नही लिया है, मारपीट में पैसा हेरा गया। पैसा वही पर हेरा गया था इसलिये उसने पैसा चोरी का आरोप लगाया था। 200–250 रूपया, जो कुलदीप साह के दुकान के समान का बाकी है, वह वापस कर देगी।** परिवादी एवं जांच साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभाष है। मामले में किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नही करवाया गया है। अतः मेरे विचार से मामले में कोई विश्वसनीय साक्ष्य नही है। जिसके आधार पर यह माना जा सके कि अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी अपराध के करने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अतः यह आपराधिक परिवाद **अस्वीकृत (Reject)** किया जाता है।

कार्यालय नियमानुसार अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम,
जमुई।